UPMZ040119342021

न्यायालय C.J.M., Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Manoj Kumar Jatav) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP01821**

Final Report 1/616/2021

Mohd Amir Vs. Unknown

07.04.2023

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थी/पीडिता को विरोध याचिका पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी/पीडित द्वारा विरोध याचिका में कथन किया गया है कि वह दुर्धटना में मृतका श्रीमति नगमा का पति है तथा वादी उसका सगा साला मौ0 आमिर है। विवेचक ने अभियुक्त को अनुचित लाभ पहुॅचाने की गरज से अन्तिम आख्या प्रस्तुत की है जो निरस्त होने योग्य हैं। विवेचक ने बसाज अभियुक्त वादी मुकदमा को प्रभावित कर मिथ्या साक्ष्य संकलित कर गलत तरीके से विवेचना कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दुर्धटना की दिनांक 26.5.2021 को समय करीब 1.30बजे घटायन भट्टे पर काम करके अपनी ई–रिक्शा से वापस अपने घर खतौली आते समय यहियापुर कट के पास पीछे से बडी तेजी व लापरवाही से आ रही आई–10 डीएल 3सीबीक्यू 0526 ने ई–रिक्शा में टक्कर मारकर ई–रिक्शा में पीछे बैठे आदिल व उसकी पत्नि श्रीमति नगमा को गम्भीर चोटे पहुॅचाई, मौके पर पुलिस की डायल 112की गाडी आ गयी थी जो हम घायलो को रैक्स हास्पिटल भूड में भर्ती कर दिया था। उसकी पत्नि नगमा की गम्भीर हालत के कारण मेरठ रेफर कर दिया था जहॉ पर ईलाज के दौरान उसकी 7माह की गर्भवती पत्नि की दिनांक 29.5.2021 को मृत्यु हो गयी थी। प्रार्थना की गयी है कि अन्तिम आख्या निरस्त कर आई–10 के चालक को तलब करने की कृपा करें। समर्थन में शपथपत्र तथा उसके साथ फोटोग्राफ आदि प्रपत्र दाखिल किये गये है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में मौ0 आमिर वादी मुकदमा द्वारा थाना खतौली पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 301/2021 अर्न्तगत धारा 279,338,427 भा0द0सं0 पंजीकृत हुआ। उक्त अभियोग में बाद विवेचना विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या 50/2021 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा को अन्तिम आख्या पर सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस जारी किया गया। वादी मुकदमा मौ0 आमिर द्वारा दिनांक 9.9.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर अन्तिम आख्या को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी थी तथा दिनांक 9.9.2021 को मामले की पीडिता/मृतका श्रीमति नगमा के पति मौ0 दानिश द्वारा विरोध याचिका प्रस्तुत की गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पीडितजन के भाई के द्वारा थाने पर दर्ज करायी गयी थी। मामले के पीडित मौ0 दानिश व नगमा वादी मुकदमा के बहन बहनोई है। कथित रूप से नगमा की कथित घटना में मृत्यु होना विरोध याचिका में उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार प्रोटेस्टकर्ता स्वयं मामले का पीडित है तथा उसकी पत्नि मामले की मृतक पीडिता है।

विरोध याचिका में यह कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित दुर्धटना के लगभग तीन दिन उपरान्त दिनांक 29.5.2021 को पीडिता नगमा की मृत्यु हो गयी। अपने कथनो के समर्थन में मृतका नगमा का मृत्यु प्रमाण पत्र, रसीद कफन तथा सभासद द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गये है। उक्त प्रमाणपत्र में भी श्रीमति नगमा पत्नि मौ0 दानिश की मृत्यु दुर्धटना में होना उल्लेखित है।

विवेचक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित वादी मुकदमा व चुटैल दानिश, आशु, आदिल के ब्यान दर्ज किये गये। उक्त ब्यानो के आधार पर विवेचक ने यह निष्कर्ष दिया कि बाद विवेचना घटना का होना नहीं पाया गया। इस आधार पर ही विवेचक ने मामले में अन्तिम आख्या प्रस्तुत की है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित पीडिता/मजरूबा नगमा का कोई ब्यान विवेचक द्वारा नहीं लिया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस आशय का उल्लेख है कि नगमा दुर्धटना में घायल हुई थी और उसे गम्भीर चोटे होने के कारण मेरठ रेफर कर दिया गया। आपत्तिकर्ता मौ0 दानिश का ब्यान विवेचक द्वारा दिनांक 2.6.2021 को दर्ज किया जाना उल्लेखित किया गया है। पीडिता नगमा के पेश किये गये मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार पीडिता की मृत्यु दिनांक 29.5.2021 को हो चुकी थी। यह तथ्य अच्चम्भित करने वाला है कि मौ0 दानिश की पत्नि/मामले की पीडिता नगमा की मृत्यु दिनांक 29.5.2021 को हो चुकी है और विवेचक द्वारा मौ0 दानिश के ब्यान दिनांक 2.6.2021 को दर्ज किया गया तथा उक्त ब्यानो में मौ0दानिश ने अपनी पत्नि की मृत्यु के बारे में विवेचक को कोई ब्यान नहीं दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रज्ञावान विवेचक ने भी मामले की पीडिता नगमा के सम्बन्ध में मौ0 दानिश से कोई प्रश्न नहीं पूछा एवं अन्य किसी पीडिता के भी जो ब्यान विवेचक द्वारा धारा 161सीआर0पी0सी0 में दर्ज किये गये है उसमें भी मामले की पीडिता नगमा के सम्बन्ध में किसी भी साक्षी से कोई सवाल नहीं किया गया। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा किसी भी चश्मदीद/स्वतन्त्र साक्षी के ब्यान नहीं लिखे गये, मात्र वादी व मजरूबो के ब्यान लिखे गये और समाई साक्षी लिखे और इसी आधार पर मामले में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष दे दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में जिन दो वाहनो की टक्कर होने के कारण मजरूबो को चोटे आई उनमें से किसी भी वाहन का विवेचक द्वारा कोई टैक्नीकल मायना नहीं कराया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस वाहन पंजीकरण संख्या डी0एल0 3सीबीक्यू 0526 के वाहन चालक द्वारा दुर्धटना कारित की गयी उस वाहन के स्वामी अथवा चालक के विषय में न तो प्रज्ञावान विवेचक ने कोई जानकारी प्राप्त की और न ही उक्त वाहन का टैक्नीकल मायना कराने का कोई प्रयास किया गया।

केस डायरी पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य तथा उपरोक्त उल्लेखित तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत करते हुए यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में प्रज्ञावान विवेचक द्वारा विधिनुसार उचित विवेचना नहीं की है तथा विवेचना दोषपूर्ण है। विवेचक का उक्त कृत्य उसके अपने कार्य की प्रति लापरवाही व उदासीनता का द्योतक है। न्यायालय के मत में विवेचक के उपरोक्त कृत्य को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर के संज्ञान में लाया जाना उचित होगा। आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को भी प्रेषित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त उल्लेखित तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए मामलें में वादी मुकदमा द्वारा जो अन्तिम आख्या स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है तथा विवेचक द्वारा पेश अन्तिम आख्या को निरस्त किया जाना एवं मामले में प्रोटेस्ट पैटीशन के प्रकाश में अग्रिम विवेचना कराया जाना न्यायोचित है। तदनुसार अन्तिम आख्या 50/2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी मुकदमा मौ0 आमिर पुत्र शौकीन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत स्वीकार करने अन्तिम आख्या निरस्त किया जाता है। मुकदमा अपराध संख्या 301/2021 धारा 279,338,427 भा0दं0सं0 थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या 50/2021 निरस्त की जाती है। तदानुसार विरोध याचिका निस्तारित की जाती है। सम्बन्धित थाना प्रभारी प्रस्तुत मामले में प्रोटेस्ट पैटीशन एवं उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में अग्रिम विवेचना कराकर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। लिपिक विवेचक को नियमानुसार आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराये। आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

(मनोज कुमार जाटव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।